

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 10.03.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री रामकुमार पाहन,डॉ० जीतू, चरण राम एवं श्री जयप्रकाश वर्मा स०वि०स०	<p>राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड स्थित मौजा तोरार थाना नं०- 263 प्लॉट नं०- 119 खाता नं०-16 रकवा 19 डी० जो आदिवासी धार्मिक पहनई एवं गैरमजरुवा जमीन है जिसे भूमि माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है तथा अन्य लोगों को हस्तांतरित करने की तैयारी की जा रही है। उक्त जमीन को हस्तांतरित कराने में क्षेत्र के कर्मचारियों एवं भूमि माफियाओं के मिली भगत से यह कार्य संभव हो रहा है जबकि पहनई जमीन को बेचने का प्रावधान नहीं है लेकिन भी कर्मचारियों के मिली भगत से गलत तरीके से हस्तांतरित किया जा रहा है। उसी प्रकार औरमांझी प्रखण्ड के उकरीद गाँव में खाता नं० 60 प्लॉट नं० 194/721 एवं 194/720 जो भुईहरी पहनई जमीन है जिसे भी दलाल किस्म के लोग कब्जा कर रहे हैं तथा बेचने की तैयारी कर रहे हैं और कुछ भाग में चाहरदिवारी भी खड़ा किया गया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें दलाल किस्म के लोग दबाव दे कर गलत तरीके से हस्तांतरित कराते रहते हैं।</p> <p>अतएव राज्य में स्थित धार्मिक भुईहरी पहनई जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने तथा आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश देने का मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	राजस्व निवंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
02-	श्री अनन्त कुमार ओझा स०वि०स०	<p>“साहेबगंज जिला अन्तर्गत याजमहल नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2010 में राजमहल अनुमण्डल अस्पताल परिसर अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति लिए वगैर स्वपोषित वित्त योजना के तहत विस्थापित 70 दुकानदारों द्वारा राशि प्राप्त कर 70 दुकानों की निर्माण की गयी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेशानुसार दुकानों को आवंटन तत्काल स्थगित कर दिया गया, जिसके कारण विस्थापित दुकानदारों को आजतक दुकान आवंटन नहीं किया जा सका और न ही उनसे प्राप्त राशि वापस की गयी।”</p> <p>अतः सरकार उपर्युक्त मामले पर उचित निर्णय लेकर लम्बित मामले का निष्पादन करे, जिससे विस्थापित दुकानदारों को दुकान प्राप्त हो सके, जिस ओर सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।</p>	नगर विकास
03-	सर्वश्री छलेन जोसेफ ब्लास्टोन, प्रदीप यादव एवं श्री बादल स०वि०स०	<p>बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1994 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान (ग्रेड-1) देने के संबंध में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या- W.P.(S)- 638/2006 में दिनांक- 04.04.2008 एल०पी०ए० संख्या- 214/2008, 295/2008, 319/2008 में दिनांक- 06.11.2012 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस०एल०पी० (सी) नं०-5520-5522/2013 में दिनांक- 08.03.2013 को पारित आदेशों में अप्रशिक्षित शिक्षकों को ससमय प्रशिक्षण दिलाकर परीक्षा आयोजित नहीं करने के लिए सरकार को जिम्मेवार मानते हुए नियुक्ति की तिथि से अदेश में उच्च योग्यताधारी होने की कोई शर्त निहित नहीं थी, परन्तु विभाग द्वारा आदेश को तोड़ भरोड़ कर सिर्फ स्नातक शिक्षकों को ही ग्रेड-1 का लाभ देने हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 3027, दिनांक- 14.12.2015 निर्गत किया गया, जबकि शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता मैट्रिक थी।</p> <p>अतएव न्याय निर्णय के आलोक में सभी शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड-1 का लाभ देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

04-	श्री नागेन्द्र महतो एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी स०वि०स०	<p>गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर के घंघरी में NH-2 के गोरहर बरवाअड़ा (कि०मी० 320.00 से कि०मी० 398.75) के स्ट्रेच में लगाये गये ठोल-प्लाजा अहर्ता के अनुसार नहीं है। सइक के मध्य में छोटी सी गुमटी लगाकर ठोल वसूली की जा रही है। इससे सइक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। आये दिन असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट, हिंसक झड़प जैसी घटना को अंजाम देकर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है।</p> <p>अतः उद्यूत ठोल-प्लाजा को अहर्तानुसार आदित्यपुर, ओरमांझी, बरही, जैसा व्यवस्थित कर घंघरी के समीप सुरक्षित इलाका गोपालडीह या अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु समुचित कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानावृष्टि कराना चाहता हूँ।</p>	पथ निर्माण
-----	--	---	---------------

राँची, 09/03/2016
 दिनांक- 10 मार्च, 2016 ई०।

बिनय कुमार सिंह

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-.....२१५३....वि० स०, राँची, दिनांक- ०९/०३/२०१६

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च व्यायालय राँची/ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ नगर विकास विभाग/स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
 ०९/०३/१६

(नीलेश रंजन)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-.....२१५३....वि० स०, राँची, दिनांक- ०९/०३/२०१६

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
 ०९/०३/१६

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

०९/०३/१६

अवर
 ०९/०३/१६